

देऊ वनाम भारायण (वॉर)

किरम मुकदमा ... प्रा.पत्र 111-12<sup>ठ</sup> ... नं० 74 ... सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19-5-23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 9-6-23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
13 <sup>6</sup> / <sub>23</sub>	<p>पत्रावली महंगाई शहत कम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत घोड़ास में पेश हुई। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शाहपठ किये गये। प्रार्थीगण का प्रारण करीकर किया जाकर निर्णय पृष्ठक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम है।</p> <p>हुकमीचन्द शिहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023</p>	

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 74/23 प्रा०पत्र

1- देऊ 0/0 श्री उषा बैरवा निवासी- गोजपुरा तहसील- गाण्डल (बौरा)

-प्रार्थी

वनाम

1- श्री नारायण 5/0 श्री कजोड़ बैरवा निवासी- गोजपुरा तहसील- गाण्डल (बौरा)  
(पृथकित पालना रातः)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 13-06-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोजपुरा पटवार हल्का रहुका तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 63, 64, 62, 65 कुल किता 0.4 रकबा 0.9485 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23-05-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे कारत कारत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गोजपुरा पटवार हल्का रहुका तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 62, 63, 64, 65 कुल किता 0.4 रकबा 0.9485 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीयारा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023